(71)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,

अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 646–पीबीआर/2016 विरूद्ध आदेश दिनांक 23–12–2015 पारित द्वारा अनुविभागीय अधिकारी होशंगाबाद, प्रकरण कमांक 69/अपील/2011–12

.....

1–अनंत पटैल आ0 बसंत पटैल

2–बसंत पटैल आ0 नवलकिशोर पटैल

निवासी सेमरीखुर्द

तहसील डोलरिया जिला होशंगाबाद

..... आवेदकगण

विरूद्ध

महेशकुमार जैन आ0आनन्दीलाल जैन

निवासी इटारसी

..... अनावेदक

.....

श्री प्रदीप श्रीवास्तव, अभिभाषक–आवेदकगण

श्री दिवाकर दीक्षित, अभिभाषक–अनावेदक

.....

:: आदेश ::

(आज दिनांक 10/1/18 को पारित)

यह निगरानी आवेदकगण द्वारा मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी होशंगाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 23–12–2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य सन्क्षेप में इस प्रकार है कि अनावेदक द्वारा तहसीलदार के आदेश दिनांक 3–1–12 के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील दिनांक 15–4–1993 को लगभग 2 माह अधिक विलम्ब से प्रस्तुत की गई । चूँकि अपील विलम्ब से प्रस्तुत की गई थी इसलिये

विलम्ब क्षमा हेतु अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन प्रस्तुत किया गया। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण दर्ज कर दिनांक 23–12–2015 को आदेश पारित अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन पत्र स्वीकार किया गया । इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसीलदार के आदेश की जानकारी अनावेदक को दिनांक 3–1–12 को ही हो गई थी । इसके बावजूद उनके द्वारा अवधि बाह्य अपील प्रस्तुत की गई थी जिसे समय सीमा में मान्य करने में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा त्रुटि की गई है यह भी कहा गया कि अनावेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष स्पष्ट कथन नहीं किये गये है कि उनके द्वारा विलम्ब से अपील क्यों प्रस्तुत की गई । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि दिनांक 21–2–12 को अनावेदक द्वारा प्रतिलिपि प्राप्त करने हेतु एक आवेदन प्रस्तुत किया गया था, अतः उस दिनांक को ही अनावेदक को तहसील न्यायालय के आदेश की जानकारी हो गई थी। उनके द्वारा अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त कर निगरानी स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया गया ।

4/ अनावेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा केवल यही तर्क प्रस्तुत किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अल्प विलम्ब का क्षमा करने में न्यायसंगत कार्यवाही की गई है, इसलिये यह निगरानी निरस्त किये जाने योग्य है ।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। तहसील न्यायालय की आदेश पत्रिका के अवलोकन से स्पष्ट है अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अनावेदक को कोई नोटिस जारी होने तथा तामील होने का कोई उल्लेख नहीं है, इसलिये अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अपील समय सीमा में स्वीकार करने में

वैधानिक एवं उचित कार्यवाही की गई है । अतः अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश स्थिर रखे जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी होशंगाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 23–12–2015 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर